## न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

### विविध रास्तास प्रकरण संख्या 114/2005(GCMS No. : 2005/00018)

1. **मृतका शकुन्तला देवी** जोजा बृजलाल, जाट निवासी व्यास कॉलोनी, 4–ई–511–12, बीकानेर जिसका **उत्तराधिकारी**

   **1/1 बृजलाल पुत्र बुधाराम**
   **1/2 राजेश पुत्र बृजलाल** } अकवाम जाट निवासीगण व्यास कॉलोनी बीकानेर

2. **मखन सिंह**
3. **नरसिंह**
4. **मन्दर सिंह** } पिसरान खेता सिंह, जटसिख, निवासीगण मोजरण्डखारी, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **जरनैल सिंह** पुत्र खेता सिंह, जटसिख निवासी मोरजण्डखारी, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
2. **बलवरी सिंह** पुत्र जंगीर सिंह जटसिख निवासी मियां, तहसील व जिला बठिण्डा (पंजाब)
3. **राजप्रताप** पिसरान पुरखाराम
4. **शिवकौरी** बेवा हनुमान } अकवाम जाट निवासीगण मोरजण्डखारी सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर
5. **राजस्थान सरकार**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**23.08.2024**

**पत्रावली पेश हुई।** प्रार्थी/अप्रार्थी एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री सुखविन्द्र सिंह को रूक रूक कर, बार बार आवज़ लगाई गई, परन्तु वे स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि कोई उपस्थिति नहीं हुआ।

**गत कई पेशियों से उभयपक्ष के** पक्षकार उपस्थित नहीं आ रहे है और दिनांक 28.07.2020 से प्रकरण लगातार बहस हेतु विचाराधीन चली आ रही है। चूंकि उभयपक्ष के पक्षकारों को बार–बार आवाज लगाने पर भी उपस्थित नहीं हुए है और प्रकरण काफी समय से प्रार्थीगण स्वयं अथवा उनका कोई प्रतिनिधि न्यायालय में उपस्थित नहीं आ रहे है, जिससे प्रतीत होता है कि पक्षकारान् को उक्त प्रकरण को आगे चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए प्रकरण को इसी आधार पर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

**अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर** प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायलाय को पालनार्थ भिजवाया जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

**यह आदेश आज दिनांक 23.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 17:08:04 IST
Reason: SelfAttested

(लोक बंधु)

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर